हवाई अड्डों की विस्तार योजना

5052. **डॉ महाबोपक सिंह शाक्य :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों के विस्तार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी परियोजनाओं की, जो इस समय हाथ में हैं और जिनके वर्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने की आशा है, रूपरेखा को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल-टी—1457 / 77]।

कृषि विकास के लिए बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

5053. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास के लिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य आकर्षण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने कृषि ऋण, के लिए धनराशि की सीमा निर्धारित कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). कृषि के क्षेत्र में बैंकों द्वारा अधिकाधिक शामिल होने को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों में निम्नलिखित दरों पर ब्याज लेने के लिए कहा है :

(i) छोटे सिंचाई कार्यों और भूमि विकास के प्रयोजनों के लिए कृषकों को मंजूर किये गये 3 वर्षों से कम परिपक्वता अवधि वाले सावधिक ऋणों पर 5 प्रतिशत से अनधिक ; और

(ii) डेरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागबानी आदि विविधकृत प्रयोजनों के लिए कृषकों को मंजूर किये गये 3 वर्षों से कम अवधि की परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर 11 प्रतिशत से अनधिक ;

(iii) अल्प, मध्यम अथवा दीर्घकालीन में से किसी भी अवधि के लिए, छोटे किसानों को दिये गये अलग अलग 2500 रुपयों से अनधिक के प्रत्यक्ष ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में 9 प्रतिशत पर पुनर्वित मिल सकेगा। बैंकों को सलाह दी गई है कि ऐसे ऋणों पर 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें चाहे यह पुनर्वित मिला हो अथवा न मिला हो।

(ग) और (घ). बैंकों द्वारा क्षेत्र विशेष को ऋण देने के लिए कोई विशिष्ट राशि अलग से नहीं रखी गई है। अलबत्ता, सरकार ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि मार्च 1979 तक उनके कुल अग्रिमों के 33.3 प्रतिशत की व्यवस्था कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्रों के लिए हो जाये।